17/2/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील परिवादी उपस्थित। वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/336

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं.– 156/2022

GCMS NO:- 2022/336 दायरा दिनाक :– 20.06.2022

1. वेदप्रकाश
2. नेमीचन्द

} पुत्रगण पथ्वीराज जाति जाट निवासीयान भोजूसर तह0 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान नाबालिक जरिये कुदरतीबली पिता पृथ्वीराज पुत्र श्री पदमाराम जाति जाट निवासी भौजूसर हाल निवास बरसलपुर बीकानेर।

—— वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी भोजूसर हाल निवासी 2 वीडीवाई राववाला तहसील कोलायत जिला बिकानेर।
2. दलीप पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी भोजूसर हाल निवासी 2 वीडीवाई राववाला तहसील कोलायत जिला बिकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़। —— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53– 209 राज. काश्तकारी अधि. 1955

उपस्थित :– **1.श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – वादी**

2. पेराकार राजस्व नायब तहसीलदार सूरतगढ़

–:: निर्णय ::– दिनांक 17.02.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण नं यह दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के नाम से रोही भोजूसर की जमाबंदी संवत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 83/64 के खसरा नम्बर 69/1 में 6.928 व खसरा नम्बर 205 में 6.892 हैक कुल 13.820 हैक व खाता नम्बर 84/177 के खसरा नम्बर 88 में 4.407 हैक व खसरा नम्बर 412/49 में 0.743 हैक इस प्रकार 5.150 हैक इस प्रकार दोनों खातों की 18.970 हैक रकबा में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 व 2 का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी रकबा दर्ज किया है। उक्त रकबा पूर्व में वादीगण के दादा पदमाराम का खातेदारी रकबा विरास्तन प्राप्त हुआ है। उक्त रकबा का वादीगण व प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा किया हुआ है, जो निम्नानुसार है।

(क) वादीगण वेदप्रकाश नेमीचन्द को घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा :– रोही भोजुसर के खसरा नं. 88 का 4.407 हैक बारानी दोयम व खसरा नं. 412/49 का 0.705 हैक (दक्षिणी पासा) खसरा नं. 69/1 में 1.211 हैक बारानी दोयम (उतरी–पूर्वी पासा) इस प्रकार कुल 6.323 हैक बारानी दोयम रकबा।

(ख) प्रतिवादी न 1 रामकुमार को घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा :– रोही भोजुसर के खसरा नं. 69/1 में 5.717 हैक बारानी दोयम (पश्चिमी पासा) व खसरा नं. 205 में 0.569 हैक बारानी दोयम (पश्चिमी पासा) व खसरा नं. 412/49 में 0.038 हैक बारानी दोयम (उतरी पासा) कुल रकबा 6.324 हैक बारानी दोयम रकबा।

(ग) प्रतिवादी न 2 दलीप को घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा :– रोही भोजुसर के खसरा नं. 205 में 6.323 हैक पासा पूर्व

लगातार पेज... 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:20:43 IST
Reason: SelfAttested

वाद संख्याः– 156/2022
वेदप्रकाश बनाम रामकुमार आदि

उक्तानुसार बॅटवारा उक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त रकबा पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त बॅटवारनामा पूर्व में दिनांक 02.03.2022 को प्रतिवादीगण सहमत थे व बंटवारा करने हेतु सहमति पत्र तैयार कर दिया था, परन्तु बाद में प्रतिवादीगण ने सहयोग नहीं किया व अब दिनांक 09.05.2022 को खाता विभाजन हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो वो इन्कार कर दिया इसी कारण कब्जा काश्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण से खाता विभाजन किया जावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरीये सम्मन करवाई गई परन्तु बावजूद सुचना उपस्थित ना आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई व किसी भी प्रकार का विरोध ना आने से तनकीयात नहीं काश्त की गई 1 साक्ष्यवादी के वादी कुदरती बली पृथ्वीराज व स्वतन्त्र गवाह के साक्ष्य करवाऐ गऐ व साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किऐ जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया पत्रावली में उभय पक्ष के साक्ष्य एव आपसी सहमति से प्रस्तुत बटवारनामां की फोटों प्रतियों से साबित हो कि उभय पक्ष ने आपस में सहमति से बटवारा कर रखा है। इसलिए वाद वादी स्वीकार कर वादी का प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करना उचित समझते है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर रोही भोजुसर की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 83/64 के खसरा नम्बर 69/1 में 6.928 व खसरा नम्बर 205 में 6.892 हैक कुल 13.820 हैक व खाता नम्बर 84/177 के खसरा नम्बर 88 में 4.407 हैक व खसरा नम्बर 412/49 में 0.743 हैक इस प्रकार 5.150 हैक इस प्रकार दोनों खातों की 18.970 हैक रकबा का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है।

(क) वादीगण वेदप्रकाश –नेमीचन्द को खाता विभाजन मे दिया जाने वाला रकबा :– रोही भोजुसर के खसरा नं. 88 का 4.407 हैक बारानी दोयम व खसरा नं. 412/49 का 0.705 हैक (दक्षिणी पासा) खसरा नं. 69/1 में 1.211 हैक बारानी दोयम (उतरी–पूर्वी पासा) इस प्रकार कुल 6.323 हैक बारानी दोयम खातेदारी रकबा।

(ख) प्रतिवादी न 1 रामकुमार व प्रतिवादी 2 दलीप को बहिस्सा बराबर खाता विभाजन मे दिया जाने वाला रकबा :– रोही भोजुसर के खसरा नं. 69/1 में 5.717 हैक बारानी दोयम (दक्षिणी पश्चिमी पासा) व खसरा नम्बर 205 में 6.892 हैक बारानी दोयम व खसरा नं. 412/49 में 0.038 हैक बारानी दोयम (उतरी पासा, रास्ता हेतु) इस प्रकार कुल 12.647 हैक बारानी दोयम बहिब खातेदारी रकबा।

तहसीलदार सूरतगढ को उपरोक्तानुसार उभय पक्ष का खाता विभाजन का अमलदरामद कर अलग–अलग खाता कायम करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली पूर्ण होकर दफ्तर दाखिल हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6 – 7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. वेदप्रकाश
2. नेमीचन्द

} पुत्रगण पथ्वीराज जाति जाट निवासीयान भोजूसर तह0 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान नाबालिक जरिये कुदरतीबली पिता पृथ्वीराज पुत्र श्री पदमाराम जाति जाट निवासी भाजूसर हाल निवास बरसलपुर बीकानेर।

–– वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी भोजूसर हाल निवासी 2 वीडीवाई राववाला तहसील कोलायत जिला बिकानेर।
2. दलीप पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी भोजूसर हाल निवासी 2 वीडीवाई राववाला तहसील कोलायत जिला बिकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़। –– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 53– 209 आर टी एक्ट मुकदमा न. 156 वर्ष 2022 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी शिशपाल शर्मा व वकील प्रतिवादी स्वय हाजिर व राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादी स्वीकार कर रोही भोजुसर की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 83/64 के खसरा नम्बर 69/1 में 6.928 व खसरा नम्बर 205 में 6.892 हैक कुल 13.820 हैक व खाता नम्बर 84/177 के खसरा नम्बर 88 में 4.407 हैक व खसरा नम्बर 412/49 में 0.743 हैक इस प्रकार 5.150 हैक इस प्रकार दोनों खातों की 18.970 हैक रकबा का निम्नानुसार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है।

(क) वादीगण वेदप्रकाश –नेमीचन्द को खाता विभाजन मे दिया जाने वाला रकबा :– रोही भोजुसर के खसरा नं. 88 का 4.407 हैक बारानी दोयम व खसरा नं. 412/49 का 0.705 हैक (दक्षिणी पासा) खसरा नं. 69/1 में 1.211 हैक बारानी दोयम (उतरी–पूर्वी पासा) इस प्रकार कुल 6.323 हैक बारानी दोयम खातेदारी रकबा बहिब।

(ख) प्रतिवादी न 1 रामकुमार व प्रतिवादी 2 दलीप को बहिस्सा बराबर खाता विभाजन मे दिया जाने वाला रकबा :– रोही भोजुसर के खसरा नं. 69/1 में 5.717 हैक बारानी दोयम (दक्षिणी पश्चिमी पासा) व खसरा नम्बर 205 में 6.892 हैक बारानी दोयम व खसरा नं. 412/49 में 0.038 हैक बारानी दोयम (उतरी पासा, रास्ता हेतु) इस प्रकार कुल 12.647 हैक बारानी दोयम बहिब खातेदारी रकबा।

तहसीलदार सूरतगढ को उपरोक्तानुसार उभय पक्ष का खाता विभाजन का अमलदरामद कर अलग–अलग रकम कायम किऐ जाने का आदेश दिया जाता है

नोज ....X.......... मुबलिग .... X .... बाबत .... X .... खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह .... X .... फस्दों की पालना .... X .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.02.25 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)